आदेश

बैंक के प्रधान कार्यालय के संज्ञान में आया है कि बहुधा बैंक के शाखा प्रबन्धक, जनपद/तहसील/विकासखण्ड स्तरीय बैठकों में बैंक का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं कर रहें हैं। जबकि बैंक पत्रांक 15181/नि0 एवं वि0/2014-15 दिनांक 28.10.14 द्वारा पूर्व में ही उक्त बैठकों में भाग लेने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। शाखा प्रबन्धकों द्वारा बैठकों में प्रतिभाग न करने की स्थिति में न तो बैंक के क्रियाकलापों के विषय में व्यापक प्रचार-प्रसार हो पाता है और न ही जनपद/तहसील/विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों का समुचित सहयोग प्राप्त होता है। जिसके कारण बैंक का व्यवसाय प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप समय-समय पर आयोजित जनपदीय/तहसील/विकासखण्ड स्तरीय बैठकों में सम्पूर्ण सूचनाओं के साथ स्वयं उपस्थित रहें। अन्यथा आपको सम्बन्धित तिथि को अनुपस्थित मानते हुए आपके वेतन से तद्नुसार कटौती कर ली जायेगी जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगें।

(श्रीकान्त गोस्वामी)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

पत्रांक- 14191 /नि0 एवं वि0/2016-17 दिनांक- 25.3.2017

प्रतिलिपि-

1. समस्त शाखा प्रबन्धक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलीय/जनपदीय पर्यवेक्षक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
3. समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक/उप आयुक्त एवं उप निबन्धक सहकारिता उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिला विकास प्रबन्धक(नाबार्ड) उत्तर प्रदेश।
5. समस्त लीड बैंक अधिकारी उत्तर प्रदेश।
6. उप महाप्रबन्धक (कम्प्यू०) को इस आशय से कि समस्त शाखाओं को ई-मेल करने हेतु

(अजय पाल सिंह)
महाप्रबन्धक (नियो0एवं वि0)